अपील प्र.सं. 11/2014 अन्तर्गत 75 एलआरएक्ट
बलवन्तराम बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मुकलावा आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
05.01.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेवन्ती पुत्री पतराम पत्नी रामचनद जाति गोस्वामी निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर के नाम से चक 8 एमके तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 21 प.नं. 158/296 के 2.587 है. नहरी खातेदारी भूमि थी। जो रेवन्ती को बतौर अपने माता पिता की इकलौती वारिस होने के कारण प्राप्त हुई थी। रेवन्ती की मृत्यु दिनांक 28.02.2014 को हो चुकी है। अपीलाधीन भूमि का विरास्तन इंतकाल रेस्पों. सं. 1 द्वारा रेस्पों सं. 2ता8 के नाम इंतकाल सं. 366 दिनांक 05.08.2014 को दर्ज कर स्वीकृत किया गया हैं। अपीलाधीन भूमि रेवन्ती को अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण प्राप्त हुई थी। जिसे रेवन्ती जिसे चाहे उसे वसीयत करने की हकदार थी। अपीलांट अपनी दादी रेवन्ती के पास रहने व सेवा करने से खुश होकर रेवन्ती ने अपीलांट के पक्ष में दिनांक 02.05.12 को कुल भूमि की 1/2 हिस्सा की वसीयत करवाई। रेस्पोंडेंट को इस बात की जानकारी होते हुए अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की नियत से भूमि का इंतकाल दर्ज करवाया। रेस्पों सं. 1 ने अपीलाधीन भूमि का इंतकाल तस्दीक करते समय भूमि के कब्जा संबंधी कोई जांच नहीं की तथा ना ही इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व किसी प्रकार की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करके आपत्ति को सुना गया। अतः अपीलाधीन आदेश इंतकाल सं. 366 दिनांक 05.08.2014 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया। वकील रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों सं. 1 द्वारा रेवन्ती की मृत्यू उपरान्त विधिसम्वत् विरास्तन इंतकाल दर्ज किया गया हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन किया। चूंकि रेवन्ती(मृतक) द्वारा दिनांक 02.05.2012 को अपीलांट बलवन्तराम पुत्र दलीप उर्फ जागरराम के पक्ष में अपने हिस्सा की भूमि का 1/2 हिस्सा वसीयत कर दी थी। एवं ग्राम पचांयत का रिकार्ड अवलोकन से रेस्पों स.1 द्वारा इसका ज्ञान नहीं होने के कारण विरास्तन इंतकाल दर्ज किया जाना प्रतीत होता हैं। लिहाजा अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत मुकलावा प्रस्ताव दिनांक 05.08.2014 इंतकाल सं. 366 दिनांक 05.08.2014 जिसकी रूह से चक 8 एमके का मु.नं. 21 प.नं. 158/296 के 2.587है. नहरी भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज हुआ को निरस्त किया जाता है। एवं ग्राम पंचायत मुकलावा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट की ओर से आवेदन करने पर उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए सभी दस्तावेजों की जांच कर पुनः विविधसम्मत निर्णय पारित करें। आदेश सुनाया गया। ग्राम पंचायत को मूल रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अर्पिता (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.14 16:13:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner